

खेल का आधिकारिक खाका: मानक संचालन प्रक्रिया (SOP)

समग्र शिक्षा 2026-27 के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर खेल सामग्री क्रय एवं रखरखाव हेतु दिशा-निर्देश

https://teachersofbihar.org/

शासनादेश और उद्देश्य: एक स्वस्थ छात्र ईको-सिस्टम

भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय) का दिशा-निर्देश
(D.O. No. 13-1/2022-IS.4 दिनांक 21.08.23)

बिहार शिक्षा परियोजना परिषद
(BEPC) – पत्रांक 5023
दिनांक 16.10.2026

विद्यालय खेल समिति का गठन और खेल संस्कृति का विकास

इस पहल का मुख्य उद्देश्य समग्र शिक्षा के अंतर्गत विद्यालयों में खेल सामग्री की की पारदर्शी खरीद सुनिश्चित करना और भारतीय/पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देना है।

https://teachersofbihar.org/

समग्र शिक्षा 2026-27: वित्तीय आवंटन (Budget Matrix)

प्राथमिक विद्यालय (Primary Schools)	₹ 5,000/- प्रति विद्यालय
प्रारंभिक/मध्य विद्यालय (Upper/Middle Schools)	₹ 10,000/- प्रति विद्यालय
उच्च माध्यमिक विद्यालय (High/Senior Secondary Schools)	₹ 25,000/- प्रति विद्यालय







राशि का प्रावधान समग्र शिक्षा के वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2026-27 के 'स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन' मद के अंतर्गत किया गया है।

https://teachersofbihar.org/

विद्यालय खेल समिति (The Architects of Execution)



अध्यक्ष

विद्यालय के प्रधानाध्यापक /
प्रधान शिक्षक



सदस्य सचिव

शारीरिक शिक्षक / नोडल शिक्षक



सदस्य

विभिन्न विषयों के 03 शिक्षक
(इसमें न्यूनतम 1 महिला शिक्षिका
अनिवार्य है, यदि उपलब्ध हो)



सदस्य

01 छात्र प्रतिनिधि / खेल मॉनिटर/
बाल संसद से खेल मंत्री

https://teachersofbihar.org/

क्रय से पूर्व: आवश्यकता का आकलन (Needs Assessment)

क्रय से पूर्व विद्यालय में मौजूद आधारभूत संरचना एवं छात्रों की संख्या के अनुरूप सामग्री का चयन अनिवार्य है।

इंडोर खेल सामग्री

विद्यालय में उपलब्ध कमरों / हॉल की स्थिति पर निर्भर।



आउटडोर खेल सामग्री

विद्यालय में उपलब्ध खेल मैदान (Ground) और छात्रों की कुल संख्या पर निर्भर।



निर्णय: विद्यालय खेल समिति द्वारा ही खेल सामग्री क्रय का प्रस्ताव (Proposal) तैयार किया जाएगा।

https://teachersofbihar.org/

क्रय प्रक्रिया: प्रखंड स्तरीय शिविर
(Block-Level Procurement Camp)

प्रभावी अनुश्रवण

सही गुणवत्ता वाली
खेल सामग्री की आपूर्ति



राज्य कार्यालय को शिविर
आयोजन की पूर्व सूचना

सभी विद्यालयों को प्रखंड स्तर पर आयोजित कैम्प में ही
नियमानुसार सामग्री क्रय करना सुनिश्चित करना है।

https://teachersofbihar.org/

वित्तीय अनुपालन और क्रय नियम (Procurement Go/No-Go)

बिहार वित्त नियमावली 1980 (संशोधित) के नियम 131 (छ) एवं अधिसूचना सं. 09.12.2024 के अनुसार क्रय।

✓ **GST अनिवार्य:** आपूर्तिकर्ता के पास Goods & Service Tax (GST) निबंधन होना अनिवार्य है। APPROVED

✗ **MRP सीमा:** क्रय की गई सामग्री की दर MRP (अधिकतम खुदरा मूल्य) से अधिक नहीं होनी चाहिए।

✗ **बाजार दर:** सामग्री की दर प्रचलित बाजार दर से अधिक नहीं होनी चाहिए।

https://teachersofbihar.org/

जवाबदेही: प्रधानाध्यापक का उत्तरदायित्व



उच्च कोटि की खेल सामग्री क्रय की पूर्ण जिम्मेदारी विद्यालय के विद्यालय के प्रधानाध्यापक / प्रधान शिक्षक की होगी।

क्रय के उपरांत प्रधानाध्यापक द्वारा संलग्न विहित प्रपत्र
(शपथ-पत्र - Affidavit) भरा जाएगा।

https://teachersofbihar.org/

क्रय उपरांत: प्रलेखन और रखरखाव चक्र (Documentation Loop)

रखरखाव: शारीरिक/नोडल शिक्षक द्वारा नियमित आकलन और मरम्मत योग्य सामग्री की पहचान।

क्रय एवं शपथ: कैंम्प में क्रय और मूल विपत्र (Original Voucher) व शपथ-पत्र का संधारण।



लॉग बुक: दैनिक उपयोग के संबंध में 'लॉग बुक' का नियमित संधारण।

भंडार पंजी: विद्यालय में आते ही खेल सामग्रियों का भंडार पंजी में अनिवार्य संधारण।

https://teachersofbihar.org/

सांस्कृतिक दृष्टिकोण: पारंपरिक खेलों को बढ़ावा

मासिक अनिवार्यता: प्रत्येक माह में कम से कम एक बार विद्यालय में पारंपरिक खेलकूद गतिविधि का आयोजन अनिवार्य है।

स्थानीय खेल: भारतीय खेल / पारंपरिक खेलों (संलग्न सूची के आधार पर) तथा स्थानीय पारंपरिक खेलों को प्राथमिकता और बढ़ावा दिया जाए।



https://teachersofbihar.org/

समग्र प्रभाव: एक सक्रिय छात्र ईको-सिस्टम



परिणाम:
शारीरिक रूप से सक्रिय और स्वस्थ छात्र निकाय

सही प्रक्रिया केवल एक नियम नहीं है; यह हमारे छात्रों के स्वास्थ्य और सांस्कृतिक जुड़ाव की नींव है।

https://teachersofbihar.org/

तत्काल कार्रवाई (Immediate Action Required)



48 घंटे का लक्ष्य: पत्र प्राप्ति के दो दिनों के अंदर **'विद्यालय खेल समिति'** का गठन सुनिश्चित करें।



अभिलेख संधारण: क्रय के उपरांत विद्यालय स्तर पर मूल विपत्र (Original Vouchers) तथा विहित शपथ-पत्र (Affidavit) का सुरक्षित संधारण सुनिश्चित करें।